उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–119–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–19–प्र0सु0/2004 दिनाँक 05-02-2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश सं0–187–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017–19–प्र0सु0/2004, दिनांक 25.03.2017 को अवक्रमित करते हुए प्रदेश के नागरिकों को जन सूचना की उपलब्धता, जन–प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उसको उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय–5 की धारा–19(1) के प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ हेतु एतद्द्वारा अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:–

अधिकारी का नाम	:	श्री सै0 मो0 ज़ाकिर अली काज़मी
पदनाम	:	अपर सचिव (तृतीय)
कार्यालय का पता	:	कक्ष सं0–331, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ ।
कार्यालय का दूरभाष सं0	:	0522–2287704
आवास का पता	:	115, हैदर मिर्जा रोड, गोलागंज लखनऊ–226018
मोबाइल सं0	:	9454468985

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–119 (i) ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव सम्बद्ध प्रमुख सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. श्री सै0 मो0 ज़ाकिर अली काज़मी (अपर सचिव–तृतीय), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
11. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (वाराणसी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (मेरठ), दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0 (आगरा) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (लखनऊ) तथा केस्को (कानपुर)।

आर. के. गुप्ता

क्रमशः.........2

12. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। एवं स्तर–।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
18. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–120–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–19–प्र0सु0/2004 दिनाँक 05-02-2018

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1132–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2015–19–प्र0सु0/2004, दिनाँक 01.09.2015 द्वारा कारपोरेशन (मुख्यालय) के नामित जन सूचना अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव–III (तत्कालीन अनु सचिव) को कार्यालय ज्ञाप संख्या–1112–सप्र–11/पाकालि/2017–10–स0प्र0/2014, दिनाँक 31.03.2017 द्वारा उप सचिव के पद पर प्रोन्नति की तिथि से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय का जन सूचना अधिकारी पुनः नामित किया जाता है। पूर्ण विवरण निम्नवत् है : –

अधिकारी का नाम	:	श्री दीपक श्रीवास्तव–III
पदनाम	:	उप सचिव (सूचना प्राप्ति अधिकार–15)
कार्यालय का पता	:	कक्ष सं0–329, शक्ति भवन (मुख्यालय), 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
कार्यालय का दूरभाष सं0	:	0522–2218329, रैक्स 8329
आवास का पता	:	16/622, इंदिरा नगर, लखनऊ–226016
मोबाइल सं0	:	9454468991

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–120 (i) ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव सम्बद्ध प्रमुख सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (वाराणसी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (मेरठ), दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0 (आगरा) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (लखनऊ) तथा केस्को (कानपुर)।
10. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः......2

11. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं स्तर–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
17. श्री दीपक श्रीवास्तव, उप सचिव (सूचना प्राप्ति अधिकार–15), शक्ति भवन, लखनऊ।
18. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

आर-के-गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)

संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt, of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ– 226001

संख्या– 132–प्र0सु0–01/पाकालि/2008–19–प्र0सु0/2004 दिनांक–29 मई,2008

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विभिन्न सूचना/अभिलेखों के प्राप्त/निरीक्षण करने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–311–प्र0सु0–01/पाकालि/2005–19–प्र0सु0/2004 दिनांक 27.10.05 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–84–प्र0सु0–01/पाकालि/2007–19–प्र0सु0/2004 दिनांक 10.04.2007 द्वारा विभिन्न शुल्कों का निर्धारण एवं भुगतान का माध्यम निर्धारित किया गया है। तथा उक्त भुगतान की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में शक्ति भावन (मुख्यालय) से सम्बन्धित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु, आवेदकों द्वारा शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक, उ0प्र0पा0का0लि0, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के नाम से भी प्राप्त हो रहे है। चूँकि उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, मुख्यालय का खाता लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के नाम से संचालित होने के कारण उक्त शुल्क की प्राप्ति में आ रहीं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदकों से विभिन्न शुल्कों को प्राप्त करने हेतु बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक में खाताधारी "लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ" के नाम से स्वीकार किये जायेंगे । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

निदेशक (का0प्र0एवं प्रशासन)

संख्या–132(1) प्र0सु0–01/पाकालि/2008 –19–प्र0सु0/2004,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष, महोदय से सम्बद्ध महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– निदेशक (का0प्र0एवं प्रशासन) /निदेशक (वित्त)/(वितरण)/ पारेषण, उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
5– मुख्यमहाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
6– महाप्रबन्धक (का0प्र0–तृतीय) एवं जनसूचना अधिकारी/ उपमहाप्रबन्धक (अरा0) एवं सहायक जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन,लखनऊ।

क्र०प०त०

7– महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/ (निधि)/(वित्त)/उपमुख्य लेखाधिकारी (निधि) /लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।

8– वरिष्ठ महालेखाकार (ई)/महालेखाकार (आडिट)–II कार्यालय, लखनऊ।

9– कम्पनी सचिव/उ0प्र0पा0का0लि0।

10– समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी/शिविर/प्रकोष्ठ,,उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।

11– अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के वेबसाइट पर अपडेशन हेतु।

12– नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(बी0के0 भट्ट)
मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)

उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली–2015 के सुसंगत प्राविधानों के उद्धरण

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध को शासित करने वाले नियम

4– (1) कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकरण से कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अनुरोध प्रारूप–2 पर दिये गये रूपविधान में किया जायेगा।

परन्तु सादे कागज पर लिखित सूचना अभिप्राप्त करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध एवं साथ में प्रारूप–2 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों को राज्य लोक सूचनां अधिकारी द्वारा विचारार्थ प्राप्त किया जायेगा।

(2) अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिये किसी अनुरोध के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहियेः–

(क) मॉगी गयी सूचना सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गये या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिये।

(ख) मांगी गयी सूचनाः

(एक) में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अन्तर्वलित नहीं होना चाहिये जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है, या

(दो) में विद्यमान आंकड़ों का नये सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, या

(तीन) में काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिये, या

(चार) में प्रश्न "क्यों", जिसके माध्यम से किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मॉग की गयी हो, का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिये, या

(पांच) इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिये कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अन्तर्ग्रस्त हो जाने के कारण सम्बन्धित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाये।

(ग) सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अनुरोध में पॉच सौ से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।

(3) राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की पावती सम्यक रूप से अभिस्वीकार करेगा और उसके विवरण को उक्त प्रयोजन के लिये प्रारूप–3 में दिये गये रूपविधान में रखी गयी आवेदन पंजी में प्रविष्ट करेगा।

प्रारूप–2

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता

....

....

1. आवेदक का पूरा नाम...
2. पिता / पति का नाम...
3. पता...

   ....
4. ई–मेल पता, यदि कोई हो..
5. दूरभाष संख्या और / या मोबाइल संख्या...
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करें).........

   ....

   ....

   ....
7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है : हाँ / नहीं
   यदि 'हाँ' तो उसका कारण..

   ....

   ....
8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा...
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है ? हाँ / नहीं

   (यदि हाँ तो बी.पी.एल प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. संलग्नकों की सूची...
....
....

स्थान..................................

दिनांक..................................

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री...निवासी..से

दिनांक..को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की माँग हेतु आवेदन पत्र जो कमांक..........................पर पंजीकृत है, प्राप्त किया ।

दिनांक.................................

राज्य लोक सूचना अधिकारी का

हस्ताक्षर और पूरानाम

प्राधिकारिक मुद्रा